## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/170509/LCK/LUCKNOW/7980/CFO

दिनांक: 31-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स LOYOLA INTERNATIONAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 859 VIGYAN KHAND, GOMTI

NAGAR EXTENSION, LUCKNOW तहसील - LUCKNOW जिसमें

निर्गत किये जाने का दिनांक: 06-09-2025

स्थान : LUCKNOW

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BLOCK	4	1	15.40 mt.

तथा प्लाट एरिया 4290.00 sq.mt है। भवन का अधिभोग LOYOLA INTERNATIONAL SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनाँक 04-09-2025 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MAHENDRA PRATAP SINGH 7388243672 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 06-09-2025 से 05-09-2028 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयविध के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note: अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के क्रम में नवीनीकरण अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जा रहा है-

1-उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम-55 एवं अनुसूची-7 के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा अधिकारी(मय प्रशिक्षित स्टॉफ) को 24x7 नियुक्त रखा जाय।

2-उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपाँत सेवा अधिनियम-2022 के प्रस्तर-26/नियमावली-2024 के नियम-56(1) के अनुसार भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील रखने तथा उसके रख-रखाव एवं जीवन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी तथा भवन इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है | "</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (ANKUSH MITTAL)

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

06-09-2025